फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री कालु बंजारा पिता धन्ना जी बंजारा नि. ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

——प्रार्थी

:: बनाम ::

सरकार

——अप्रार्थी

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र गोवंश

पत्रावली संख्या 01/2022

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गः
	दिनांक 07.10.2022 प्रार्थी श्री कालु बंजारा नि. ओडा तहसील रेलमगरा द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री डी.एस. बजारा के माध्यम से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 सपठित धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत कर बताया कि अनवान प्रकरण में प्रार्थी के स्वामित्व का वाहन महिन्द्रा पीकअप नंबर RJ-12-GA-1078 वजह सबूत पुलिस थाना कांकरोली द्वारा अपनी तहवील में ले रखा है जिसका प्रार्थी पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन की अब पुलिस अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है तथा प्रार्थी इसे सिपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी उदयपुर में आर.सी.सी. सेटिंग का मिस्त्री होकर काम करता है जिससे अपना एवं अपने परिवार का गुजारा करता है जिस कारण प्रार्थी ने उक्त वाहन पीकअप नं. RJ-12-GA-1078 को चलाने एवं उसके संचालन हेतु अपने छोटे भाई श्री दुर्गा पिता श्री धन्नाजी बंजारा नि. ओडा को सुपुर्द कर रखी थी तथा उसके पक्ष में पॉवर ऑफ अर्टोनी निष्पादित कर रखी थी तथा उसे किसी भी मादक पदार्थ, पशुओ के परिवहन एवं अवैध वस्तु के परिवहन नहीं करने के लिये पाबंद कर रखा था तथा उसे हिदायत दे रखी थी तथा दिनांक 21.05.2022 को तथाकथित वाहन पीकअप नंबर RJ-12-GA-1078 में चार बैल भरकर घर की तरफ लाने के संबंध में प्रार्थी को सम्यक रूप से जानकारी नहीं थी ना ही प्रार्थी के भाई ने उक्त किराये भाडे के संबंध प्रार्थी को जानकारी नही थी ना ही प्रार्थी के भाई ने उक्त किराये भाडे के संबंध में प्रार्थी को जानकारी दी थी। वक्त-घटना प्रार्थी कथाकथित वाहन के साथ नही था ना ही घर पर था तथा प्रार्थी को उक्त पीकअप में बैल भरने के तथ्यो की जानकारी नही थी। । प्रार्थी गरीब मजदूर होकर निर्दोष व्यक्ति है। उक्त अनवान प्रकरण में धारा 5,6 व 8 राजस्थान गौवंश अधिनियम के तहत पुलिस थाना कांकरोली द्वारा प्रथम पृष्टया अपराध मानकर प्रकरण दर्ज किया गया है जो बिना किसी आधार एवं कानून के विपरित है। राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 "धारा 5 वध के प्रयोजन के लिये गौवंशीय पशु के	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनो के लिये अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन" कोई भी व्यक्ति किसी भी गौवंशीय पशु का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुये कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है राज्य के भीतर किसी भी स्थान से राज्य के बाहर किसी भी स्थान को निर्यात नही करेगा और निर्यात नही करवायेगा" अर्थात् राजस्थान सीमाओं के भीतर पशुओं के परिवहन के. लिये किसी प्रकार के परमीट की आवश्यकता नही होती है वक्त घटना तथाकथित वाहन में काश्त योग्य चार बैल दूर्गालाल बंजारा द्वारा मादडी चौराया से भरकर अपने गांव ओडा जाते समय रास्ते में वीरभान जी का खेड़ा जाने वाली आम सड़क पर नेशनल हाईव फोरलेन पर जे.के. चौराये से पूर्व ही पुलिस थाना कांकरोली द्वारा पकड़ा गया है। जबकि दुर्गालाल का गांव ओडा है जहां पर जाने के लिये मादड़ी चौराये से फोरलाईन से होते हुये जे. के सर्कल से रेलमगरा रोड़ पर होकर ओडा जाना होता है अर्थात् उसके गांव जाने से पूर्व ही पुलिस द्वारा बिना किसी आधार के कत्लखाने में ले जाना जाहिर किया गया हैं तथा इस प्रकार की किसी प्रकार की साक्ष्य नही है। यह कि प्रकरण की ट्रायल माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द में लंबित है जिसके निस्तारण में समय लगेगा तब तक उक्त वाहन महिन्द्रा पीकअप नंबर **RJ-12-GA-1078** है जो बिना वजह पड़े रहने से इसके कलपूर्जे, टायर–ट्यूब, बेट्री इत्यादि खराब होने का अन्देशा है जिसे प्रकरण के निस्तारण तक अन्तरिम सिपुर्दगी हेतु प्रार्थी को सिपुर्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है यह कि प्रार्थी आप न्यायालय के आदेशानुसार सिपुर्दगीनामा एवं जमानत नामा पेश करने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाहन महिन्द्रा पीकअप नंबर **RJ-12-GA-1078** को प्रकरण के निस्तारण तक प्रार्थी को अंतरिम सिपुर्द करने हेतु अनुरोध किया है।

थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन, कांकरोली द्वारा पत्रांकः 7042 दिनांक 9.9.2022 से अवगत कराया कि कुलिया तफतीश से अभियुक्तगण (1) श्री दुर्गालाल पिता श्री धन्ना बंजारा उम्र 42 वर्ष नि. बंजारा बस्ती ओडा के विरूद्ध जुर्म धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995, धारा 9,11 पशु क्रुरता अधिनियम 1960, धारा 5/180 एमवीएक्ट (2) श्री सुनील पिता श्री श्यामलाल जी बंजारा उम्र 19 वर्ष निवासी बंजारा बस्ती ओडाक` विरूद्ध जुर्म धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995, धारा 9,11 पशु क्रुरता अधिनियम 1960 एवं (3) विधि से संघर्षरत बालक श्री काजु उर्फ श्री कृष्णकांत पिता श्री कालुराम जी बंजारा उम्र 16 वर्ष 03 माह निवासी बंजारा बस्ती ओडा पुलिस थाना कांकरोली राजसमंद के विरूद्ध जुर्म धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995, धारा 9,11 पशु क्रुरता अधिनियम 1960 एवं धारा 5/181 एमवीएक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानते हुए प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नंबर **RJ-12-GA-1078** की प्रकरण की तफ्तीश में आवश्यकता नहीं होने का उल्लेख किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी कालु बंजारा उदयपुर में आर.सी.सी. का काम करता है वही गाड़ी चलाकर अपने परिवार का

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भरण पोषण करता है। चारो बैलो को 6ए में निरूद्ध कर रखा है। पुलिस द्वारा जप्त किये गये वाहन को प्रार्थी के परिवार का भरण पोषण चलाने हेतु छोडा जाना आवश्यक है।

राजकी अधिवक्ता ने अपने बहस कथन में बताया कि जब्तशुदा वाहन को डेढ गुणा राशि का सुपुर्दगी नामा एवं जमानत मुचलका लेकर को छोडा जा सकता है।

थानाधिकारी कांकरोली की रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा वाहन पिकअप नंबर **RJ-12-GA-1078** की प्रकरण की तफ्तीश में आवश्यकता नहीं हैं वाहन रिलीज किये जाने पर कोई आपति नही हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व पुलिस की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पिकअप को पुलिस द्वारा जब्त किया गया हैं। पुलिस रिपोर्ट में गौवंश को पिकअप में भरकर परिवहन किया जाना बताया गया है। गौवंश के परिवहन संबंधी इनके पास कोई वैध अनुज्ञापत्र या परमीट नहीं पाया जाना बताया गया। राजस्थान गौवंशीय पशुवध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन संशोधन अधिनियम 2018 पश्चात धारा 6(क) की उपधारा (3) के अधीन यह प्रावधान है कि जब कभी भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिवहन, व्यय या निर्मुक्ति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी। साथ ही जब्त पशुधन के सम्बन्ध में प्रकरण में राजस्थान गौवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा 7(1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जब कभी तलाशी या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गौवंशीय पशु अधिग्रहित किये जाये तो अधिग्रहित किये गये गौवंशीय पशु की अभिरक्षा मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक एजेन्सी को या राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शासित किसी गौशाला या किसी भी गौ सदन को सौंपी जा सकेगी। थानाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि जब्तज वाहन **RJ-12-GA-1078** का उपयोग पशुओं के अवैध परिवहन हेतु किया गया। साथ ही जब्त पशुओं के सम्बन्ध में भी कोई परमीट व वैध कागजात प्रस्तुत नही किये गये। अतः जब्त वाहन **RJ-12-GA-1078** को अधिहरण (Confiscation) करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी धारा के परन्तुक 3 अनुसार "यह भी कि इस उप–धारा के अधीन अधिहरण का आदेश करने के पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी का अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकने के प्रावधान होने से यदि वाहन स्वामी द्वारा जब्त वाहन **RJ-12-GA-1078** के बदले में बीमा में अंकित राशि के समतुल्य राशि की बैंक गारण्टी एवं इतनी ही राशि के जमानत, मुचलके प्रस्तुत किये जाते है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तो जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत वाहन मालिक को बैंक गारण्टी एवं उसके निजी मुचलके के आधार पर अन्य किसी मामले में आवश्यकता न हो तो सिपुर्द किया जावे। अन्यथा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करायी जावें।

तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा एवं बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर उक्त वाहन महिन्द्रा पीकअप नंबर **RJ-12-GA-1078** को प्रार्थी श्री कालु बंजारा को निम्न शर्तो के साथ अंतरिम सिपुर्द करने के आदेश किये जाते है।

(1) प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द एवं किसी को विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करेगा ।

(2) न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर, राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)